न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या 20/2022
प्रार्थना-पत्र दायर दिनांक:-02.03.2022
निर्णय प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.04.2022

उनवान
धनेश बनाम मीठालाल वगै.

"प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 10,11 जा0दी0 दिनांक 06.04.2022"
निर्णय

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 10, 11 जा.दी. दिनांक:02.03.2022 को प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा विवादित वादग्रस्त भूमि ख. नं. 1023 लगायत 1033, 1033/1524, 1034 लगायत 1038, 1042, 1222 लगायत 1225, 1604/1039 ग्राम पंडितपुरा तह. बसवा जिला दौसा बाबत वाद प्रस्तुत किया है। वादपत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक:21.06.1965 को हरिराम, रमशी पुत्रान् हट्या व रामरतन पुत्र हरिराम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था। जिसमें 1/3 हिस्सा का खातेदार रमशी पुत्र हट्या रहे हैं। रमशी का एक पुत्र था बद्री जिसकी मृत्यु रमशी के जीवनकाल में ही हो गई थी। रमशी की सेवा आदि रमशी की पुत्र वधु प्रतिवादी सं. 09 भौती देवी पत्नी बद्री ने की थी। तथा रमशी ने अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत भौती देवी के हक में उप पंजीयक कार्यालय बसवा में दिनांक:10.06.2003 को पंजीकृत करा दी तथा रमशी की मृत्यु के बाद रमशी की संपत्ति पर भौती देवी का नामान्तकरण सं. 125 दिनांकः 05.01.2004 को तस्दीक हो गया। तथा रमशी के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी भौती देवी की हो गयी। इस प्रकार वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में भौती देवी 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार हो गयी। जिसकी जानकारी वादीगण व उसके पिता व अन्य प्रतिवादीगण सं. 12 लगायत 14 को रही है।

वादीगण द्वारा जिस भूमि का दावा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। उस भूमि से संबंधित एक वाद प्रतिवादी सं. 12 प्रभूदयाल ने अपने अन्य भाईयों के साथ यह जानते हुए कि वादग्रसत सम्पत्ति में 1/3 हिस्से की अधिकारी रमशी की पुत्रवधू है तथा रमशी के दो पुत्रियाँ प्रतिवादी सं. 10 नत्थी एवं प्रतिवादी सं. 11 कमला है तथा उनका 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। चुपचाप भौती देवी की संपत्ति को हडपने के उद्देश्य से इन्हे बिना पक्षकार बनाये रमशी के स्वयं ही वारिस बनकर अदालत हाजा के समक्ष एक वाद तकास्मा, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सं. 78/2003 उनवानी प्रभू बनाम रामरतन प्रस्तुत कर दिया जिसमें अदालत हाजा द्वारा दिनांक:27.02.2004 को वाद को अन्तिम रूप से साक्ष्य लेखबद्ध कर खारिज कर दिया गया। उक्त वाद सं. 78/2003 उनवानी प्रभू बनाम रामरतन के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील सं. 34/2004 में पारित निर्णय दिनांक:03.01.2005 के आदेश के आधार पर वादी ने खातेदारी में इन्द्राज करवाया है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी भौती देवी को होने पर भौती देवी ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील सं. 4468/2006 प्रस्तुत की, जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भौती देवी की अपील को दिनांक:29.02.2016 को मंजूर कर न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक:03.01.2005 को निरस्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अदालत हाजा के समक्ष रिमाण्ड कर दी, जो न्यायालय हाजा में प्राप्त होकर प्रकरण सं. 29/2016 उनवान प्रभु बनाम रामरतन विचाराधीन है। राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक:03.01.2005 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त [illegible] को उक्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पूर्व [illegible] सं. 29/2016 के समान पक्षकार तथा समान विषयवस्तु होने तथा पूर्व के वाद सं. 78/2003 को अदालत [illegible] विरचित कर साक्ष्य लेखबद्ध कर अन्तिम रूप से दिनांक:27.04.200[illegible] खारिज योग्य है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2023.02.15 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

को पूर्ण जानकारी रही है कि वादग्रस्त संपत्ति बाबत राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांकः03.01.2005 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण की पूर्ण जानकारी होते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष सही तथ्यों को छुपाने से वादीगण वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादी वकील प्रा. पत्र आदेश 07 नियम 11 बाबत वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि हरिराम द्वारा स्व अर्जित की गयी थी। किन्तु रामरतन व रमशी का नाम रजिस्ट्री में लिखवा दिया गया। रमशी पुत्र हट्टया के कोई औलाद नहीं थी। और ना ही किसी को गोद लिया था। जो वसीयत भौती देवी पत्नि बदरी के नाम की गयी है वह कूटरचित दस्तावेजातों के आधार पर व तथ्य छिपाकर की गयी है। जो अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से निरस्त कर दी गई थी। इस प्रकार भौती देवी का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व में जो मुकदमों के बारे में वर्णित किया है उसमें अलग अलग पक्षकार हैं व अलग अलग कारण वाद पत्र उत्पन्न हुआ है। उक्त प्रकरणों में वादीगण कहीं भी पक्षकार नहीं है व मुकदमे की भी वादीगण को कोई जानकारी नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. खारिज किया जावे। हमने प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रतिवादीगण एवं जवाब प्रा. पत्र वादीगण पर बहस उभयपक्ष वकील सुनी। वादी वकील द्वारा वादग्रस्त भूमि हरिराम द्वारा स्व अर्जित बतायी गयी। एवं रमशी पुत्र हट्टया द्वारा भौतीदेवी पत्नि बद्री को की गयी वसीयत कूटरचित दस्तावेजातों के आधार पर व तथ्य छिपाकर होना बताया गया। व प्रस्तुत वाद में अलग अलग पक्षकार व अलग अलग विषय होना बताया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा कहा गया राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांकः03.01.2005 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त कर देने से वादीगण को उक्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पूर्व के वाद प्रकरण सं. 26/2016 के समान पक्षकार तथा समान विषयवस्तु होने तथा पूर्व के वाद सं. 78/2003 का अदालत हाजा द्वारा विवाधक विरचित कर साक्ष्य लेखबद्ध कर अन्तिम रूप से दिनांकः27.04.2004 को निर्णय पारित कर देने से प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. एवं प्रस्तुत वाद वादीगण दस्तावेजातों का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद के संलग्न जमाबंदी संवत 2074-77 ग्राम पण्डितपुरा तह. बसवा खाता सं. नया 374 पुराना 333 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त भूमि की आराजी न्यायालय हाजा में पूर्व से विचाराधीन प्रकरण सं. 29/2016 उनवान प्रभु बनाम रामरतन के समान हैं। तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात सत्यप्रति प्रकरण सं. 29/2016 उनवान प्रभु बनाम रामरतन, वसीयतनामा, जमाबंदी संवत एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांकः 29.02.2016, राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांकः03.01.2005, एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांकः27.02.2004 की प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पूर्व के वाद प्रकरण सं. 29/2016 के विषयवस्तु समान हैं तथा राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांकः03.01.2005 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त कर देने से वादीगण को उक्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 10, 11 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकारमा बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय मे लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नीरज कुमार मीना)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2023.02.15 13:53:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner